an>

Title: Need to constitue a high-level committee to determine the criteria for Private Coaching Institutes in the country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, देश के गंभीर विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देश में पूंजीपति शिक्षा माफियाओं द्वारा छात्रों का शोषण कोचिंग संस्थाओं द्वारा हो रहा है। गरीब मध्यम वर्ग के छात्र किसी तरह से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए दिल्ली आते हैं। यहां लॉज मालिक एक कमरे में चार छात्र रखते हैं और करीब 4000, 8000 या 9000 रुपया एक छात्र से लिया जाता है और प्रत्येक महीने पैसा बढ़ा दिया जाता है। पुलिस द्वारा इन्टरवीन करके जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं अन्यथा उन्हे निकाल दिया जाता है, बिजली, पानी काट दिया जाता है। बच्चों पर एक्सटॉरशन करके लाठी से पीट कर पैसे लिए जाते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और नार्थ-ईस्ट के छात्रों की स्थिति बहुत भयानक है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने पहले भी इन इश्यूज़ की तरफ बहुत ध्यान दिया था और कहा था कि बच्चों के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए रेट फिक्स किया गया था लेकिन लॉज माफिया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कानून बना जिसमें यह तय किया गया कि लॉज की क्या गुणवत्ता, स्थिति होगी और कितनी फीस होगी। एक लॉज में मात्र दो छात्र रखे जाएंगे जबकि एक कमरे में छः, सात छात्रों को रखा जाता है और जबरदस्ती उनसे 8000, 9000 रुपए वसूले जाते हैं।

शिक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने गाईडलाइन दी है कि 20 से 40 स्टूडेंट्स से ज्यादा किसी कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ा सकते और क्या फीस होगी, यह भी तय है। आज स्थिति यह है कि फीस भी अत्यधिक ली जाती है और एक कोचिंग संस्था में एक पीरियड में 400 या 500 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। मैं मांग करता हूं कि जो आदेश भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का है, शिक्षा की गुणवत्ता का जो नियम है, उसके मुताबिक कोचिंग संस्था में एजुकेशन मिले और उचित फीस ली जाए। दिल्ली में छात्र-छात्राओं पर अत्याचार हो रहा है। मेरी मांग है कि मंत्री महोदय इसमें इन्टरवीन करें। दिल्ली में लॉज की स्थिति देखें और बिहार के बच्चों को बचाएं।